कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –1, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA-2), पटना
जिला– पटना

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा–2), पटना के वर्ष जुलाई 2011 से सितम्बर 2016 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 776 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/ 14643/439 दिनांक– 17.02.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पटना

तनवीर हसन 17/02/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

सामाजिक प्रक्षेत्र–I

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.–776/16–17

भाग–I

प्रस्तावना

1.	कार्यालय का नाम	कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण–2, पटना
2.	कार्यपालक अभियंता का नाम एवं पता:	श्री केदार प्रसाद साहु, कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण–2, पटना
3.	लेखा परीक्षा की अवधि :	जुलाई 2011 से सितम्बर 2016 तक
4.	लेखापरीक्षा की तिथि:	03.10.2016 से 15.10.2016 तक (नौ कार्य दिवस)
5.	विस्तृत जाँच का माह	जुन 2014, अक्टुबर 2015 एवं अगस्त 2016
6.	अंकगणितीय जाँच का माह	अगस्त 2014, जनवरी 2016 एवं जून 2016
7.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री राजनन्दन कुमार, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी 2. श्री अनिल कुमार रजक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 3. श्री बलराम मिश्रा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 4. श्री अरविन्द कुमार, लेखा परीक्षक
8.	लेखापरीक्षा का विस्तार	जिला शहरी विकास अभिकरण–2, पटना के जुलाई 2011 से सितम्बर 2016 तक के लेखाओं का नमूना जाँच किया गया। विस्तृत जाँच का माह जून 2014, अक्टुबर 2015 एवं अगस्त 2016 में कोषागार/बैंक से निकासी की गई राशि तथा माह जुलाई 2011 से सितम्बर 2016 तक के दौरान बैंक/कोषागार में जमा की गई राशि का मिलान विभिन्न बैंक/कोषागार के भुगतान एवं प्राप्ति अनुसूची से की गयी।
9.	क्या लेखापरीक्षा आपत्ति पर विचार– विमर्श किया गया	हाँ, कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण–2, पटना से लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार– विमर्श किया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण–2 पटना द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II

खण्ड क– शून्य

भाग– II

खण्ड ख

कंडिका सं0 01– विलम्ब शुल्क/क्षतिपूर्ति राशि की कटौती नहीं राशि ₹ 24.99 लाख

एकरारनामा के पृष्ट संख्या 8, शर्त संख्या 2 के अनुसार तय समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर संवेदक से क्षति पूर्ति के रूप में प्रत्येक विलम्ब दिन के लिए प्राक्कलन राशि का 0.50 प्रतिशत की दर से अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत राशि वसूली की जाएगी।

योजनाओं के संचिका के नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि 13 (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–I पर) योजनाओं में कार्य विलम्ब से पूर्ण किया गया। इसमे न ही संवेदक द्वारा समय विस्तार की मांग की गई थी और न ही उपरोक्त शर्त के आलोक में डुडा–2 कार्यालय द्वारा क्षतिपूर्ति राशि की वसूली संवेदक से की गई थी। अंकेक्षण दल के द्वारा की गई गणना के अनुसार कुल क्षतिपूर्ती राशि ₹ 2499537.00 है जो कि संवेदक से वसूलनीय है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में जवाब दिया गया कि क्षतिपूर्ति की राशि कुछ योजनाओं में काटी गई है। संचिकाओं से जांचोपरान्त शेष राशि की कटौती कर ली जाएगी।

परन्तु कार्यालय द्वारा किन योजनाओं में क्षतिपूर्ति राशि की कटौती की गई है इसकी विवरणी नहीं दी गई। राशि ₹ 2499537.00 संवेदक से वसूलनीय है।

कंडिका सं0 02– फुलवारी शरीफ अन्तर्गत फुलवारी भवन से पुलिस उपाधीक्षक भवन एवं तालाब होते हुए मुख्य सड़क का निर्माण कार्य की समीक्षा।

कार्य का प्रशासनिक स्वीकृति	₹ 35.303 लाख
कार्य का तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलित राशि :	₹ 35.303 लाख
निविदा का दिनांकः	31.05.2013
निविदा भरने का अंतिम दिनांकः	11.06.2013
बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि :	11.06.2013
एकरारनामा की राशिः–	B.O.Q के दर पर
एजेंसी का नाम :–	श्री कमलेश कुमार सिंह
एकरारनामा सं. एवं राशि :–	45/F2/13-14
कार्य समाप्त करने का दिनांकः –	तीन माह 14.11.2013
कार्य समाप्ति का दिनांकः –	22.09.2016

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूँना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियाँ/अनियमितताएँ पाई गई।

1. **<u>संवेदक को अधिक भुगतान एवं अनुचित लाभ पहुँचाना मो. ₹ 3.53 लाख</u>**

एकरारनामा के पृष्ठ सं 8 के clause 2 के अनुसार कार्य समय पर पुरा न होने पर प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत के दर पर संवेदक से वसूली करना है।

संचिकाओ के नमूना जॉच में पाया गया कि कार्य निर्धारित अवधि से 2 वर्ष और 10 माह के विलंब से समाप्त हुआ परन्तु संवेदक से विलम्ब शूल्क कि वसूली नही किया गया इस प्रकार संवेदक सं रू 35. 30 लाख का 10 प्रतिशत् अर्थात रू 3.53 लाख की कटौती नहीं कर संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राशि रू 3.53 लाख की वसूली संवेदक से की जाए।

2. **<u>संवेदक को अधिक भुगतान रू 12480/–</u>**

एकरारनामा मॉपी पुस्तिका एवं बि.ओ.क्यु के नमूना जॉच में पाया गया कि बि.ओ.क्यु के आइटम न. 6 (Labour for laying fiting….) को एकरारनामा में शामिल नहीं किया गया था। मापी पुस्त के पृष्ठ सं 22 में आइटम न. 8 का मापी दिखाया गया है और उसका भुगतान किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है। तथा उसपर किया गया भुगतान अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3. **<u>लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय का अनियमित भुगतान ₹ 9.95 लाख रू0</u>**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से होने के उपरांत ही लघु खनिज मदों के मूल्य एवं अन्य कर आदि का भुगतान किया जाये अन्यथा नहीं। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करते है तो इसकी कटौती कर ही भुगतान की कारवाई किया जाये तथा इसके संबंध में कार्य आदेश में स्पष्ट आदेश दिया जाये कि प्रपत्र एम. तथा एन. के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जॉच क्रय में पाया गया कि संचिका में प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' नहीं लगा हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि लघु खनिज मदों का मूल्य एवं परिवहन व्यय की राशि बिना प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही तथा बिना साक्ष्य (वास्तविक उठाव) प्राप्त किये ही दिया जा रहा है, जो कि उपर्युक्त नियमों के विरूद्ध था। इस कार्य में उपयोग किया सामग्री पर किया गया भुगतान निम्नानुसार है।

मद का नाम	मात्रा	दर	परिवहन व्यय राशि
लोकल बालू	164.97 ^{m3}	183.35/^{m3}	30247.00
स्टोन चिप्स	817.390 m3	1071.95/^{m3}	876201.00
कोरसा सैण्ड	174.19m3	510.24/m3	88879.00
		TOTAL	**995327.00**

अतः उक्त कार्यो में संबंधित संवेदकों से बिना वास्तविक दूरी से उठाव से संबंधित परिवहन चालान एवं प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय भुगतान किया गया है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर वांछित कार्रवाई कर उसके फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

कंडिका सं0 03– पटना नगर निगम वार्ड संख्या–57 के दादरमण्डी में सड़क का निर्माण कार्य की समीक्षा

कार्य का प्रशासनिक स्वीकृतिः		₹ 48.422 लाख
कार्य का तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलित राशिः		₹ 48.422 लाख
B.O.Q के अनुसार राशिः		₹ 46.42 लाख
निविदा का दिनांकः		21.07.2012
निविदा भरने का अंतिम दिनांकः		27.07.2012
बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि		27.07.2012
एकरारनामा कि दरः		B.O.Q के दर पर।
एजेंसी का नाम :–		लैण्ड मार्क कन्सट्रक्शन श्री मनोरंजन सिंह
एकरारनामा सं. एवं राशि :–		75/F2/13-14 (15.02.2014)
कार्य समाप्त करने का दिनांकः	**छः माह**	15.08.2014
कार्य समाप्ति का दिनांकः		27.06.2014

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियॉ/अनियमितताऍ पाई गई।

01. **लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय का अनियमित भुगतान ₹ 12.47 लाख रू0**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से होने के उपरांत ही लघु खनिज मदों के मूल्य एवं अन्य कर आदि का भुगतान किया जाये अन्यथा नहीं। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करते है तो

इसकी कटौती कर ही भुगतान की कारवाई किया जाये तथा इसके संबंध में कार्य आदेश में स्पष्ट आदेश दिया जाये की प्रपत्र एम. तथा एन. के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जाँच क्रय में पाया गया कि संचिका में प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' नहीं लगा हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि लघु खनिज मदों का मूल्य एवं परिवहन व्यय की राशि बिना प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही तथा बिना साक्ष्य (वास्तविक उठाव) प्राप्त किये ही दिया जा रहा है, जो कि उपर्युक्त नियमों के विरूद्ध था, इस प्रकार इस कार्य में उपयोग किया सामग्री पर परिवहन मद में किया गया भुगतान निम्नानुसार है।

मद का नाम	मात्रा	दर	लिड	परिवहन व्यय राशि
स्टोन चिप्स	930.879m3	1039.08 /m3	139km Manpur से लाना था।	967258
कोरस सैण्ड	429.96m3	651.73/m3	60 km	280218
			TOTAL	1247476

अतः उक्त कार्यो में संबंधित संवेदकों से बिना वास्तविक दूरी से उठाव से संबंधित परिवहन चालान एवं प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय भुगतान किया गया है जो अनियमित है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

02. **मॉपी पुस्त में दर्ज एवं एग्रीमेंट में दर्ज मात्रा में अंतर पाया जाना**

उपलब्ध कराये गये मॉपी पुस्त, एग्रीमेंट के नमुनॉ जॉच मे पाया गया कि निम्नलिखित उप–कार्य में अंतर पाया गया।

कार्य का विवरण	एग्रीमेंट के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अन्तर
Item no 3 (Dry lean cement……..8-10 tones vibratory roller)	292.89 m^3	292.43 m^3	0.46m^3
Item no 4 (Cement Concreate pavement……)	585.780m^3	584.60 m^3	1.18 m^3

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य एकरारनामा के अनुसार नहीं किया गया था

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

03. **मिट्टी कार्य पर रायल्टी की कटौती नहीं किया जाना रू0 0.02 लाख**

खान एवं भुतत्व विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं0–250, दिनांक 27.01.2012 के द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 26(1) ख के अनुसार रायल्टी के दर में संशोधन किया गया

है। साधारण मिट्टी जिसका प्रयोग बॉध सडक भवन आदि निर्माण या उसे समतल करने के लिए किया जाता है रू0 22 प्रति m3 रॉयल्टी काटे जाने का प्रावधान है।

उक्त कार्य के उपलक्ष कराया गया संचिका एवं मॉपी पुस्त इत्यादी के नमूना जॉच में पाया गया कि Item No 01 Earth work में 94.48 m^3 का कार्य किया गया परन्तु इसपर रायल्टी नहीं काटा गया। इस प्रकार रॉयल्टी नही काटे जाने के कारण 94.48 X 22 = 2079 के राजस्व की हानि हुई।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कारंवाई की जाएगी।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर वांछित कार्रवाई कर उसके फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

<u>कंडिका सं0 04-- गुरू सहाय लाल समुदायिक भवन से मेन रोड ट्रान्सफार्मर तक पी0सी0सी0 कार्य की समीक्षा</u>

कार्य का प्रशासनिक स्वीकृति :–	₹ 45.882 लाख
कार्य का तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलित राशि :–	₹ 45.882 लाख
B.O.Q के अनुसार राशि :–	₹ 43.69 लाख
निविदा का दिनांक :–	02.02.2013
निविदा भरने का अंतिम दिनांक :–	11.02.2013
बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि :	– 12.02.2013
एकरारनामा की राशि :	B.O.Q के दर पर
एजेंसी का नाम :–	श्री शैलेन्द्र कुमार
एकरारनामा सं. एवं राशि :–	19/F2/13-14 (24.06.2013)
कार्य समाप्त करने का दिनांक: छः माह	24.12.2013
कार्य समाप्ति का दिनांक:	27.06.2014।

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियॉ/अनियमितताएँ पाई गई:–

1. **<u>संवेदक को अधिक भुगतान एवं अनुसूचित लाभ पहॅचाना मो. ₹ 4.59 लाख</u>**

एकरारनामा के पृष्ठ सं 8 के clause 2 के अनुसार कार्य समय पर पूरा न होने पर प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत के दर पर संवेदक से वसूली करना है।

संचिकाओं के नमूना जॉच में पाया गया कि कार्य निर्धारित अवधि से 06 माह के विलंब से समाप्त हुआ परन्तु संवेदक से विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं किया गया इस प्रकार संवेदक से रू 45.882 लाख का 10 प्रतिशत् अर्थात रू 4.59 लाख की कटौती नहीं कर संवेदक को अनुचित लाभ पहॅुचाया गया।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2. लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय का अनियमित भुगतान ₹ 8.54 लाख रू0

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन संबंधित जिला परिवहन पदा. से होने के उपरांत ही लघु खनिज मदों के मूल्य एवं अन्य कर आदि का भुगतान किया जाये अन्यथा नहीं। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करते है तो इसकी कटौती कर ही भुगतान की कारवाई किया जाये तथा इसके संबंध में कार्य आदेश में स्पष्ट आदेश दिया जाये कि प्रपत्र एम. तथा एन. के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जाँच कम में पाया गया कि संचिका में प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' नहीं लगा हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि लघु खनिज मदों का मूल्य एवं परिवहन व्यय की राशि बिना प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही तथा बिना साक्ष्य (वास्तविक उठाव) प्राप्त किये ही दिया जा रहा है, जो कि उपर्युक्त नियमों के विरूद्ध था, इस प्रकार इस कार्य में उपयोग किया सामग्री पर परिवहन मद में किया गया भुगतान निम्नानुसार है।

मद का नाम	मात्रा	दर	लिड	परिवहन व्यय राशि
रबीश	587.91m^3	182.65 m^3	7 km	107382
स्टोन चिप्स	544.10m3	1108/^{m3}	Goods train	602863
कोरसा सैण्ड	210.27m3	684.35/m3	56 km	143888
TOTAL				854133

अतः उक्त कार्यो में संबंधित संवेदकों से बिना वास्तविक दूरी से उठाव से संबंधित परिवहन चालान एवं प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय भुगतान किया गया है जो अनियमित है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3. मिट्टी कार्य पर रायल्टी की कटौती नहीं किया जाना रू0 0.15 लाख

खान एवं भुतत्व विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं0–250, दिनांक 27.01.2012 के द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 26(1) ख के अनुसार रायल्टी के दर में संशोधन किया गया है। साधारण मिट्टी जिसका प्रयोग बॉध सडक भवन आदि निर्माण या उसे समतल करने के लिए किया जाता है रू0 22 प्रति m^3 रॉयल्टी काटे जाने का प्रावधान है।

उक्त कार्य के उपलब्ध कराया गया संचिका एवं मॉपी पुस्त इत्यादी के नमुना जाँच में पाया गया कि Item No 01 Removal of inserviceable soil and Item no 3 Earth work में 114 +586.75 = 700.74

m^3 का कार्य किया गया परन्तु इसपर रायल्टी नहीं काटा गया। इस प्रकार रॉयल्टी नही काटे जाने के कारण 700.75 X 22 = 15417 के राजस्व की हानि हुई।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

04. अवमानक कार्य

उक्त कार्य के उपलब्ध कराया गया संचिका एवं मॉपी पुस्त इत्यादी के नमूना जॉच में पाया गया कि item No. 10 Steel welded में एकरारनामा एवं प्राक्कलन में 280 किलो ग्राम लोहे की आवश्यकता था परन्तु मॉपी पुस्त के पृष्ठ सं 13 एवं 21 पर मात्र 88 किलो ग्राम ही खपत दिखाया गया है । जिसके कारण यह कार्य अवमानक कार्य के श्रेणी में आता है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर वांछित कार्रवाई कर उसके फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

कंडिका सं0 05– रूपसपुर मुख्य पथ मध्य विद्यालय के पास से रूपसपुर चमार टोली तक सड़क का पी0सी0सी0 एवं आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य की समीक्षा

प्राक्कलित राशि:–	₹ 46,69,500.00
परिमाण विमत्र की राशि:–	₹ 44,26,148.00
प्रशासनिक स्वीकृति तिथि:–	31.01.2012
तकनीकी स्वीकृति की तिथि:–	20.09.2011
निविदा की तिथि:–	11.02.2012
संवेदक का नाम:–	श्री धर्मेन्द्र कुमार
एकरारनामा कि राशि:–	₹ 44,26,148.00
एकरारनामा सं. एवं तिथि :–	31/F2/12-13 (02.07.2012)

कार्य आरम्भ एवं समाप्त करने का दिनांक:– 02.04.2012 एवं 01.10.2012

कार्य की अंतिम मापी मूल्य एवं तिथि:-- ₹ 42,28,440.00, 28.09.2012

अंकेक्षण टिप्पणी

लघु खनिज के परिवहन व्यय का अनियमित भुगतान ₹ 5.65 लाख

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन संबंधित जिला परिवहन पदा. से होने के उपरांत ही लघु खनिज मदों के मूल्य एवं अन्य कर आदि का भुगतान किया जाये अन्यथा नहीं। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करते है तो इसकी

कटौती कर ही भुगतान की कारवाई किया जाये तथा इसके संबंध में कार्य आदेश में स्पष्ट आदेश दिया जाये कि प्रपत्र एम. तथा एन. के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जाँच कम में पाया गया कि संवेदक द्वारा लघु खनिज ढुलाई के संबंध में चालान एवं प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' में शपथ पत्र जमा नहीं किया गया फिर भी अभिकरण द्वारा संवेदक को लघु खनिज परिवहन व्यय का भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार है:-

कम सं0	समग्री	मात्रा	दर	परिवहन राशि
01.	सोन बालू	266.02 एम.क्यू	549.85 / एम.क्यू	146271
02.	स्टोन चिप्स	532.03 एम.क्यू	786.56 / एम.क्यू	418474
			कुल	564745

इस प्रकार सोन बालू एवं स्टोन चिप्स की बिना वास्तविक दूरी से ढुलाई की जाच किए उसके परिवहन व्यय का भुगतान अनियमित है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त बिन्दु पर वाछित कार्रवाई कर उसके फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

<u>कंडिका सं0 06-- परिमाण विपत्र की राशि कोषागार में जमा नहीं किया जाना रू0 65.88 लाख</u>

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 सपठित बिहार कोषागार संहिता के नियम 7 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा करने का प्रावधान है। उन्हें अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नहीं है। विभागीय कार्यो में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, (डुडा-2) द्वारा विभिन्न योजनाओं क्रियान्वयन हेतु निविदा निकाली जाती है। कार्यालय द्वारा परिमाण विपत्र की बिकी पर निविदादाताओं से उसकी राशि प्राप्त की जाती है। जॉच कम मे यह देखा गया कि निविदादाताओं द्वारा राशि बैंक ड्राफ्ट / चेक द्वारा दिया जाता है, जिसे कार्यालय द्वारा आई.डी.बी.आई बैंक विकास भवन शाखा, पटना के खाता सं0-0140104000068776 में जमा किया जाता है। दिनांक 13.12.2011 (प्रथम पासबुक) से 24.09.2016 तक सूद सहित रू0 65,87,776.00 जमा है। परन्तु यह राशि कार्यालय द्वारा अब तक सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा नहीं की गयी है। इस प्रकार सरकारी धन को लगभग पॉच साल से कार्यालय द्वारा अवरूद्ध करके रखा गया है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि विभाग से निर्देश प्राप्त कर राशि संबंधित शीर्ष में जमा कर दी जाएगी।

कंडिका सं0 07-- सूद की राशि का अवरोधन राशि ₹ 111.21 लाख

बिहार कोषागार संहिता भाग–I एवं अन्य वित्तीय नियमावली में निधि प्रावधानों के अनुसार बैंक जमा राशि पर अर्जित सूद को वित्तीय वर्ष के अंत में 0049 जमा शीर्ष के अन्तर्गत जमा किया जाना चाहिए था तथा योजना मद की राशि पर अर्जित सूद को योजना पर ही व्यय किया जाना चाहिए। पुनः सरकार के विभिन्न आवंटन आदेशों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित रहता है कि प्राप्त आवंटन पर बैंक में अर्जित ब्याज का उपयोग व व्यय उसी योजना पर किया जायेगा जिसके लिये राशि आवंटित की गयी है तथा इस संबंध में निर्देश सरकार द्वारा समय समय पर जारी भी किया गया है।

जिला शहरी विकास अभिकरण–2, पटना कार्यालय के रोकड़ बही एवं पासबुक के अवलोकन में पाया गया उपरोक्त नियमों व दिशा निर्देशों का पालन न कर विभिन्न योजना मद में प्राप्त अनुदान की राशियों पर बैंक में प्राप्त सूद की राशि संबंधित रोकड़ बही में प्रविष्टि कर निर्रथक रखी हुई थी। विविध/विभिन्न शीर्षों में जमा राशि पर दिनांक 30.09.2016 तक अर्जित सूद की कुल राशि ₹ 2,11,26,535.00 थी। जिसमें से बिहार सरकार को भेजे गए सूद की राशि की विवरण के अनुसार मुख्यमंत्री नगर विकास योजना मद में अर्जित सूद की राशि में से राशि ₹ 1,00,05,000.00 दिनांक 23.02.2016 को सरकारी खाता में जमा कर दिया गया था। शेष राशि ₹ 1,11,21,535.00 अब तक बैंक में पड़ा हुआ है।

प्राप्त अनुदान की राशि पर अर्जित बैंक ब्याज को सूद की रोकड़ बही मे रखने का कारण पूछे जाने पर कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि शेष सूद की राशि उच्च पदाधिकारी के आदेश प्राप्त कर जमा कर दिया जाएगा।

भाग– III
लेखा परीक्षा टिप्पणी

टिप्पणी– 01 रोकड़ बही की तुलना में पासबुक में अधिक राशि रू0 9.93 लाख का बैंक समाशोधन विवरणी तैयार नहीं किया जाना

जिला शहरी विकास अभिकरण–2, पटना कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए रोकड़ बही एवं पासबुक के 30.09.2016 के अंतशेष विवरणी के अनुसार मुख्य मंत्री नगर विकास योजना मद की रोकड़ बही में बकाया राशि ₹ 3,29,69,443.85 एवं पासबुक में बकाया राशि ₹ 3,39,31,999.85 एवं ₹ 30,200.00 है। इस प्रकार उपरोक्त योजना के रोकड़ बही एवं पासबुक में राशि का अंतर ₹ 9,92,756.00 है। इसका बैंक समाधान विवरणी तैयार कर शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार कर जवाब के साथ संलग्न है। जवाब के अनुसार चेक जारी किन्तु

बैंक में प्रस्तुत नहीं की राशि ₹ 9,92,756.00 है। लेकिन इसकी विवरणी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

<u>टिप्पणी– 02 लेखाओं का अप्रस्तुतीकरण</u>

शहरी विकास अभिकरण, डुडा–2, बिहार, पटना द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज लिखित एवं मौखिक माँग के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

1. योजना पंजी।
2. बी.ओ.क्यु. सेल रजिस्टर।
3. भंडार पंजी।
4. आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
5. अग्रिम पंजी।
6. सेन्टेज चार्ज रजिस्टर।
7. संपत्ति पंजी।
8. मनी रसीद।
9. जमा पंजी।
10. आवंटन/अनुदान पंजी।
11. आवंटन एवं व्यय विवरणी।
12. सहायक रोकड़ बही।
13. सी.एन.सी. पंजी एवं संबंधित अभिश्रव।

उपरोक्त दस्तावेजों को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

–हस्ता0–
(राजनन्दन कुमार)
व0ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उपमहालेखाकार (सा0प्र0–I/स्था0नि0)

परिशिष्ट : 1
भाग-II Related to para 1

Statement showing amount of Compensation from Contractors for delay in completion of work

Sl. No.	Name Of Scheme	Administrative Approval Amount (Rs. In Lac)	Name Of Contractor	Agreement Amount (Rs. In Lac)	Financial Status Expenditure till Date	Agreement no. & Date Of Work Order	Date Of completion as per Agreement	Actual Date Of completion	total delay days	delay in % (0.5 % per day maximum 10 %)	Amount (0.5 % per day maximum 10 % of Agreement)	Status of Work
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	वार्ड सं0-04, में खाजपुरा बगीचा में बाबू लाल चौधरी (पीपल का पेड़) के घर से लेकर योगेन्द्र अपार्टमेन्ट के आगे मुख्य नाला तक खुला नाला एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य।	36.992	श्री पवन कुमार	29.80412	29.34203	16F2/11-12 Dt.-09.01.12	08.07.12	29.04.13	**273**	10.00	2.98041	कार्य पूर्ण
2	वार्ड संख्या-21 अदालतगंज स्लम बस्ती में दुर्गावती देवी के घर से कलावती देवी के घर तक पी0सी0सी0 पथ नाला एवं निर्माण कार्य।	20.957	मे0 प्रिंस इन्टरप्राइजेज (प्रो0-श्री अरुण कुमार)	16.83494	15.34011	14F2/11-12 Dt.-09.01.12	08.05.12	09.04.13	**314**	10.00	1.68349	कार्य पूर्ण
3	कौटिल्यनगर में अमर सिंह के मकान से फूलचन्द गुप्ता के मकान तक एवं सुरेश सिंह के मकान से महेश सिंह के मकान तक, सुरेश के मकान से रामाधार सिंह के मकान तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य।	15.254	श्री रंजन कुमार सिन्हा	14.42131	11.8186	82F2/11-12 Dt.-28.12.11	27.06.12	20.08.14	**780**	10.00	1.44213	कार्य पूर्ण
4	दानापुर नगर परिषद् के वार्ड नं0-11 दानापुर न्यू मैनपुरा खरंजा रोड में बी0डी0ओ0 साहेब के मकान से रेखा सिंह के मकान तक पी0सी0सी0 सड़क एवं नाला का निर्माण कार्य।	25.226	अनमोल इन्टरप्राइजेज (प्रो0- श्री अविनाश कुमार)	24.25628	24.2019	38F2/12-13 Dt.-12.04.12	11.08.12	29.04.13	**260**	10.00	2.42563	कार्य पूर्ण
5	वार्ड संख्या-03 में रुपसपुर चमार टोली से रुपसपुर भट्ठा पर पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	34.69	श्री निरंजन कुमार	27.94780	27.74279	45F2/12-13 Dt.-12.04.12	11.10.12	05.09.13	**330**	10.00	2.79478	कार्य पूर्ण
6	एन0एच0 30 से देवी चौरा मोड़ तक नाला निर्माण कार्य।	39.99	श्री जितेन्द्र कुमार	38.28920	38.00012	04F2/12-13 Dt.-02.04.12	01.10.12	30.04.13	**212**	10.00	3.82892	कार्य पूर्ण

7	मनेर टोला पर रामदेव जी के घर से देवी स्थान सामुदायिक भवन के पीछे से नाला का निर्माण तथा नारायण ड्राईवर के घर से देवी स्थान (स्व० श्याम दयाल शर्मा) के घर तक रोड ढलाई।	19.03	श्री सोनु कुमार	18.30007	17.974	03F2/12-13 Dt.-02.04.12	01.07.12	30.04.13	**304**	10.00	1.83001	कार्य पूर्ण
8	वार्ड संख्या 28 जय हिंद कॉलोनी रानीपुर रोड से शैलेंद्र जी के मकान से नीलकंठ पंडित के मकान तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	13.698	श्री अजय कुमार सिन्हा	13.17181	13.03124	08F2/12-13 Dt.-12.04.12	11.08.12	15.03.16	**1400**	10.00	1.31718	कार्य पूर्ण
9	पूर्वी रामकृष्णा नगर में एन०टी०पी०सी० रोड से जगनपुरा तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	11.463	श्री अनील कुमार	11.02243	9.8009	15F2/12-13 Dt.-12.04.12	11.07.12	26.12.12	**168**	10.00	1.10224	कार्य पूर्ण
10	जी० डी० मेमोरियल होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, पूर्वी रामकृष्णा नगर में नाला निर्माण कार्य।	25.207	श्रीमति ऋचा शर्मा	23.89294	12.6035	09F2/12-13 Dt.-07.02.13	06.06.13	07.05.14	**334**	10.00	2.38929	कार्य पूर्ण
11	वार्ड संख्या–03 में नुनु माँझी के घर से सूर्यदेव माँझी के घर होते हुए जगदीश साव के घर तक नाला निर्माण एवं ईट सोलिंग एवं पी०सी०सी० ढलाई कार्य।	3.695	श्री सोनु कुमार	3.55338	3.51966	33F2/12-13 Dt.-12.04.12	11.07.12	30.07.12	**19**	9.50	0.33757	कार्य पूर्ण
12	वार्ड संख्या–11 में मनीचक तालाब से भोला चौधरी सच्चिदानन्द सिंह, कृष्णा प्रसाद के घर होते हुए लखन प्रसाद के घर तक नाला एवं ईट सोलिंग कार्य।	20.378	श्री विकास कुमार सिंह	19.59370	16.7679	41F2/12-13 Dt.-04.06.12	03.10.12	28.10.13	**25**	10.00	1.95937	कार्य पूर्ण
13	वार्ड संख्या–02 में योगिन्दर सिंह के घर होते हुए अनुज कुमार के घर तक एवं रामसेवक सिंह के घर होते हुए राजेश कुमार के घर तक ईट सोलिंग एवं पी०सी०सी० ढलाई कार्य तथा रामसेवक सिंह के घर से अजय राम के घर तक पी०सी०सी० ढलाई निर्माण कार्य।	9.558	श्री उमाकांत तिवारी	9.04337	8.97996	39F2/12-13 Dt.-12.04.12	11.07.12	10.08.13	**396**	10.00	0.90434	कार्य पूर्ण
										TOTAL	24.99537	

बलराम मिश्रा
स०लि० प०अ०